



File No: WCR-KOTA0PERS(EDIV)/66/2020-O/o Sr.DPO/KOTA/WCR/

Date 27.01.2023

वॉक-इन-इंटरव्यू (Walk-in-Interview)

कोटा मंडल में निम्नानुसार संविदा आधार पर एक वर्ष के लिए पूर्ण कालिक संविदा चिकित्सकों [CMP (Specialist)] के पदों को भरने हेतु दिनांक 08/02/2023 को वॉक-इन-इंटरव्यू रखा गया है।

क.सं.	चिकित्सालय का नाम	रिक्तियाँ
1.	मंडल रेल चिकित्सालय, कोटा	01 (CMP- Gynaecologist/Obstetrician) Note - Other Specialists (Viz Orthopedic, Dermatologist, Urologist, Neurologist, Psychologist etc etc.) and General Duty Doctors (GDMO) may also apply. May be considered as per requirement in case suitable candidate is not available as specified above
2	हैल्थ यूनिट, शामगढ	01 CMP (General Duty Medical Officer)

वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए स्थान	दिनांक एवं रिपोर्टिंग टाइम
कार्मिक विभाग, द्वितीय तल, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, कोटा जं.	08/02/2023 प्रातः 10.00 बजे से 11.00 बजे तक (प्रातः 11 बजे के बाद पंजीयन नहीं होगा)

अन्य शर्तें

शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता

CMP (Specialist) उम्मीदवार को भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भारतीय संस्थान से संबंधित विधा में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। CMP (GDMO) उम्मीदवार को भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भारतीय संस्थान से एमबीबीएस पास की डिग्री होनी चाहिए तथा एक वर्ष की अनिवार्य इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद भारतीय चिकित्सा परिषद् में रजिस्ट्रेशन या किसी राज्य चिकित्सा परिषद के साथ वैद्य रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कोई अन्य प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। उच्च योग्यता यदि कोई हो तो उन्हें उचित वरियता दी जायेगी। शैक्षणिक योग्यताओं के दस्तावेजों को उनके जारी किये जानेवाले विश्वविद्यालय/संगठनों से सत्यापन के बाद ही संविदा आधार पर उनकी नियुक्ति के संबंध में विचार किया जाएगा।

आयु

अधिसूचना जारी होने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक की आयु नहीं होनी चाहिए। यद्यपि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष एवं ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष की छूट दी जायेगी।

सेवानिवृत्त रेलवे डॉक्टर राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारियों के लिए अधिसूचना जारी होने की तिथि को आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

अनुभव

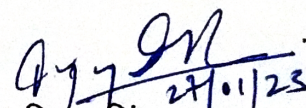
CMP (Specialist) के लिए किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सीय संस्थान से 03 वर्ष का अनुभव आवश्यक है।

पारिश्रमिक

- a CMP (Specialist) को प्रथम वर्ष में ₹ 95,000/- तथा दूसरे वर्ष एवं उसके बाद के वर्षों के लिए ₹ 1,05,000/-प्रति माह का मानदेय दिया जायेगा। CMP (General Duty) के लिए मासिक पारिश्रमिक ₹ 75,000/- देय है। यह मानदेय मकान किराया भत्ता एवं परिवहन भत्ते सहित देय है।
- b सेवानिवृत्त रेलवे चिकित्सक, राज्य/केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारियों के लिए मासिक पारिश्रमिक रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमानुसार दिया जायेगा। राज्य/केंद्रीय सरकार से सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारियों के लिए मानदेय, पेंशन+मानदेय उनके अंतिम वेतन से अधिक नहीं होना चाहिए। नियमित रेल सेवकों को दिये जाने वाले मंहगाई भत्ता/अन्य भत्ते इन्हें देय नहीं है।

नोट

1. प्रशासनिक आवश्यकताओं के मददेनजर रिक्तियों में भर्ती के पश्चात भी संशोधन किया जा सकता है।
2. अनुबंध चिकित्सकों को कोटा मंडल के क्षेत्राधिकार में किसी भी स्टेशन पर भी पदस्थ किये जाने का अधिकार प्रशासन के पास आरक्षित है।
3. इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ एवं शैक्षणिक/जाति/अनुभव से संबंधित सभी मूल दस्तावेजों सहित निर्धारित समय व स्थान पर वॉक इन इन्टरव्यू के लिए उपस्थित हो।
4. चयनित उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षा में उपयुक्त पाये जाने पर ही सीएमपी के पद पर भर्ती किया जायेगा।
5. अनुबंध की वैधता के दौरान सीएमपी उनके बेहतर कैरियर/अन्य किसी आधार पर 15 दिन का पूर्व नोटिस देकर सेवाओं को समाप्त किये जाने के लिए स्वतंत्र होगा। रेल प्रशासन द्वारा भी अनुबंध के दौरान किसी भी समय किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना दिये बिना या बिना कोई कारण बताये अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है।
6. भर्ती किये गये सीएमपी को रेलवे में स्वतः नियमितिकरण या समायोजन का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। अनुबंध के आधार पर एंगेज किये गये संविदा चिकित्सक रेलवे बोर्ड द्वारा जारी समय-समय पर नियमों को मानने के लिए बाध्य होंगे।
7. रेलवे में अनुबंध के दौरान ड्यूटी के संबंध में विस्तृत निर्देश सीएमपी को चयन के उपरान्त जारी किये जायेंगे।
8. उक्त अधिसूचना को बिना कोई कारण बताये रद्द करने का पूर्ण अधिकार रेल प्रशासन रखता है। साक्षात्कार को एक से अधिक दिनों के लिए भी बढ़ाया जा सकता है और ऐसी परिस्थिति में किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा रेल प्रशासन द्वारा नहीं दी जायेगी।
9. किसी भी सेवानिवृत्त रेलवे चिकित्सक को जिन्हें सीएमपी के लिए नियुक्त किया जाना है को सुविधा पास/पीटीओ की सुविधा देय नहीं होगी।
10. उपयुक्त पाये गये उम्मीदवारों को कार्य पर आने से पूर्व स्टाम्प पेपर पर अनुबंध पत्र भरना होगा।
- 11-उम्मीदवार संलग्न आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित दिनांक, समय एवं स्थान पर उपस्थित होंगे।


(विजय सिंह)

मंडल कार्मिक अधिकारी

कृते मण्डल रेल प्रबंधक/ कार्मिक, कोटा

Application Format

Engagement of Contract Medical Practitioner for

Two recent
passport size
coloured
photographs
duly signed

1. Name in block letters :
2. Father's /Husband's Name :
3. Community :
4. Date of Birth :
5. Age as on date of notification :
6. Permanent Address with PIN No. :
7. Nearest Railway Station from the place of Residence :
8. Communication Number & E-mail :
9. PAN No. :
10. Aadhaar No. :
11. Caste (Gen/SC/ST/OBC) :
12. Medical Registration No. :
13. MBBS particulars :
 - Year of passing.
 - %age of Marks in final MBBS exam :
 - Number of attempt in every MBBS :
 - Whether recognized by MCI :
14. Post Graduation Particulars requisite field :
 - Super speciality/PG Degree/Diploma in
 - Year of passing :
 - Whether undergoing
 - (in case, not yet passed) :
 - Whether recognized by MCI :
15. Experience details (having both outdoor & Indoor facility will be considered as experience) with documents. :

I hereby declare that all the statements made in this application are true and correct. I know that I am not eligible for any TA/DA for this interview.

Dated.

Full signature of the candidate

